राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या

8680/2024

कुका राम पुत्र भगवान लाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, गांव कानपुर, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर। (वर्तमान में केंद्रीय कारागार उदयपुर में बंद) ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य सी.बी.एन. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री नवनीत पूनिया।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री के.एस. नाहर, विशेष पी.पी. श्री गोपाल सिंह के साथ।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

15/07/2024

1. आवेदक पुलिस स्टेशन सी.बी.एन. नीमच में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 25/2023 के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार है। उसने धारा 439 सी.आर.पी.सी. के तहत जमानत के लिए इस दूसरे आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. इससे पहले, आवेदक ने पहली जमानत याचिका दायर करके जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसे मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना निपटा दिया गया था क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया गया था।

3. इससे पहले कि मैं जमानत के सवालों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने के लिए आगे बढ़ूं, वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा जो कि गुप्त सूचना के आधार पर, 14.07.2023 को लगभग 15.30 बजे कुल 4.400 किलोग्राम है। उदयपुर में उदयपुर-डबोक राजमार्ग पर देबारी पुल के नीचे याचिकाकर्ता के कब्जे से प्रतिबंधित अफीम बरामद हुई। याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया। जब्ती अधिकारी के अनुसार, चूंकि मौके पर उचित कार्रवाई करना संभव नहीं था, इसलिए प्रतिबंधित सामग्री और याचिकाकर्ता दोनों को नीमच में नारकोटिक्स कार्यालय ले जाया गया, जहां जब्ती और गिरफ्तारी की आगे की कार्रवाई की गई।

4. सबसे पहले, आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री ननीत पूनिया ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि जब्ती अधिकारी का बयान पहले ही परीक्षण के दौरान दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने इस गवाह द्वारा दिए गए बयान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि हालांकि तलाशी उदयपुर (राजस्थान) में की गई थी, फिर भी मौके पर कोई जब्ती ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था और न ही प्रतिबंधित सामग्री से कोई

नमूने लिए गए थे; जब्ती ज्ञापन नीमच में नारकोटिक्स विभाग के कार्यालय में तैयार किया गया था और नमूने भी वहीं लिए गए थे। इससे याचिकाकर्ता को गंभीर नुकसान हुआ है। उनके अनुसार, जब्ती ज्ञापन उस स्थान पर तैयार किया जाना चाहिए था, जहां से अभियुक्त से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी।

5. उन्होंने आगे बताया कि फिर भी बरामदगी की गई, लेकिन प्रतिबंधित सामग्री को मौके पर जब्त और सील नहीं किया गया और याचिकाकर्ता, उसकी मोटरसाइकिल और प्रतिबंधित सामग्री को नीमच लाया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि तलाशी और जब्ती ज्ञापन मौके पर तैयार किया गया होता, तो यह संतोषजनक रूप से साबित हो सकता था कि बैग याचिकाकर्ता के कब्जे से ही लिया गया था। दलीलों को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. राज्य के विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री के.एस. नाहर ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई विभिन्न दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि आवेदक से बरामद 4.400 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होते हैं। उन्होंने आगे दलील दी कि जब्ती और नमूनाकरण प्रक्रिया के अनुरूप था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताई गई कमियों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और उन पर केवल परीक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आगे यह तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जमानत याचिकाकर्ता नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त है; याचिकाकर्ता किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एक ड्रग पेडलर है। इसलिए, वह आवेदक की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक

ने खेत सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 2002 (एससी) 1450 के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करके उपरोक्त दलीलों को पुष्ट किया।

7. मैंने अपने सामने रखी गई सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है।

8. अभिलेख के अवलोकन तथा प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी अनिल कुमार (पीडब्लू-1) का बयान ट्रायल के दौरान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान मामले में, जब्ती अधिकारी द्वारा अलग-अलग स्थानों तथा समय पर तलाशी तथा जब्ती के संबंध में दो अलग-अलग ज्ञापन तैयार किए गए हैं। पहला ज्ञापन 14.07.2003 को दोपहर 3:30 बजे उदयपुर (राजस्थान) में "निरुदद पंचनामा" के नाम से तैयार किया गया था, जिसमें कथित प्रतिबंधित पदार्थ तथा याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का सरल उल्लेख है। दूसरा ज्ञापन 15.07.2023 को दोपहर 2.00 बजे नीमच (मध्य प्रदेश) में नारकोटिक्स कार्यालय में "पंचनामा जब्ती अवैध अफीम" के नाम से तैयार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की जब्ती तथा गिरफ्तारी का विवरण दिया गया था। इस प्रकार, कथित तस्करी का माल बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लगभग 24 घंटे तक निरोधक दस्ते की हिरासत में रहा और इस दौरान उदयपुर से नीमच यानी एक राज्य से दूसरे राज्य तक की लंबी दूरी तस्करी के माल के साथ तय की गई।

9.

यह सच है कि जब्ती अधिकारी ने मौके पर जब्ती ज्ञापन तैयार नहीं किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी निर्देश संख्या 1/88 का खंड 1.5 इस प्रकार है:

"नमूना लेने का स्थान और समय: - जब्त की गई नारकोटिक ड्रग्स और

साइकोट्रॉपिक पदार्थों के नमूने, बरामदगी के स्थान पर, दो प्रतियों में, तलाशी (पंच) गवाहों और जिस व्यक्ति के कब्जे से दवा बरामद की गई है, की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए और इस आशय का उल्लेख मौके पर तैयार किए गए पंचनामा में अवश्य किया जाना चाहिए"।

10. इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि स्थायी आदेशों में निर्धारित प्रक्रियाएं कुछ तर्क पर आधारित हैं, इसलिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी नारकोटिक्स ड्रग्स की जब्ती के तरीके पर स्थायी आदेशों का जांच एजेंसियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए और उन्हें अनुपालन के लिए वैकल्पिक नहीं बनाया जा सकता है अन्यथा यह "कागज़ का एक बेकार टुकड़ा" होगा। इसके अलावा, स्थायी आदेशों का पालन न करने से स्वाभाविक रूप से जब्ती के तरीके से संबंधित उचित संदेह उत्पन्न हो सकता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

11. खेत सिंह बनाम भारत संघ एआईआर 2002 (एससी) 1450 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि- "यदि तलाशी और जब्ती कानून और प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना थी और ऐसी तलाशी या जब्ती के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ की कोई संभावना थी, तो यह कहा जा सकता है कि साक्ष्य साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।"

12. वर्तमान मामले में जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता और कथित प्रतिबंधित सामान बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लगभग 24 घंटे तक निवारक दस्ते की हिरासत में रहे और इस अवधि के दौरान उदयपुर से नीमच तक की लंबी दूरी तय की गई।

13. चूंकि किसी भी मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ को अपने पास रखना अधिनियम के तहत दंडनीय है, इसलिए आरोपी से उस पदार्थ को जब्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इन स्थायी आदेशों/दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, तो न्यायालय इसे गंभीरता से लेगा।

14. इस मामले में, एजेंसी द्वारा की गई जब्ती प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण जब्ती थी, क्योंकि यह स्थापित स्थायी आदेशों के अनुसार नहीं थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी स्थायी निर्देशों में निहित निर्देशों का प्रथम दृष्टया अनुपालन नहीं किया गया था। इन प्रावधानों का अनुपालन न करना आवश्यक रूप से उचित संदेह का तत्व लाता है। इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह तर्क देना पर्याप्त नहीं होगा कि गैर-अनुपालन के मुद्दों पर परीक्षण के समय विचार किया जाना चाहिए और आरोपी को जो पूर्वाग्रह हुआ है, उसे आरोपी द्वारा दिखाया जाना चाहिए। इस न्यायालय के विचार में, वर्तमान मामले में जब्ती का तरीका, कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनजर अपीलकर्ता को इस स्तर पर जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 2011 (एससी) अनुपूरक 787 में दी गई है।

15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद; आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य और यह तथ्य कि आवेदक 15.07.2023 से हिरासत में है; कि मुकदमे में काफी समय लगने की संभावना है और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा विचार है कि एनडीपीएस की धारा 37 की कठोरता। अधिनियम विधिवत् संतुष्ट है, क्योंकि इस न्यायालय को लगता है कि आवेदक के पास अभियोजन मामले पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं और आवेदक को अनिश्चित काल तक

हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक हूं।

16. परिणामस्वरूप, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी याचिकाकर्ता कूका राम पुत्र भगवान लाल, जिसे पुलिस स्टेशन सीबीएन नीमच में पंजीकृत एफआईआर संख्या 25/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि का व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की सभी तारीखों पर और जब भी बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि अभियुक्तगण अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर तथा जमानतदारगण जमानत प्रस्तुत करने के दिन अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक तथा शाखा का नाम, शपथ-पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तथा अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति तथा बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के अंतर्गत जुर्माना राशि की वसूली सुचारू रूप से की जा सके।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।